***न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर***

**निग/टीए/5522/2004/भरतपुर**

घन्टोली पुत्र रामसिंह जाति जोगी निवासी ग्राम जोगीपुरा तहसील नदवई जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1 शोभाराम पुत्र जग्गू जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीरान तहसील नदवई
2 नटिया पुत्र चन्इन जाति मनिहारी निवासी ग्राम बरौलीरान तहसील नदवई जिला भरतपुर

अप्रार्थीगण

**एकल पीठ**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**

उपस्थितः श्री एस.के.पुरोहित वकील प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल वकील अप्रार्थी संख्या 1

**निर्णय**

**दिनांकः.8.6.2018**

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नदवई द्वारा प्रकरण संख्या 92/2001 में पारित आदेश दिनांक 5.7.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत किया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने जबाबदावे की मद संख्या 11 में अंकित किया है कि विवादित हाल खसरा नम्बर 1455 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 1037 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 प्रार्थी को दे दिया तथा खसरा नम्बर 1391/349 रकबा करीब 2 बीघा को प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 को दे दिया।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाबदावे में उक्त तथ्य को गलत अंकित कर दिया जिसे प्रतिवादी संख्या 2 कलमजन कराना चाहता है तथा उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 घन्टोली ने विवादित आरजी खसरा नम्बर 1455 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा को अन्य व्यक्ति मोदन व सुखी पुत्र देवीराम, सम्पति पुत्र भीखी, पूरण, राधेश्याम, जयसिंह पुत्र श्योदान व मूली पत्नी श्योदान जाति जोगी साकिन जोगीपुरा रेकार्डेड काबिज खातेदार जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.7.92 को क्रय की है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 748 प्रतिवादी संख्या 2 के हक में खुल गया व रेकार्ड में खातेदारी अंकित हो गई। वादी इस आराजी से कोई रिलीफ चाहता है तो उसे रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाना चाहिये। ऐसा नहीं करने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी विक्रय पत्र दिनांक 27.7.92 के प्राप्त होने से हुई जो काफी समय से उसे मिल नहीं रहा था। जानकारी के अभाव में उक्त तथ्य गलत अंकित हो गया। जिसे कलमजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षो को सुनकर आदेश दिनांक 5.7.2004 से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है जिसे विक्रय पत्र नहीं मिलने से क्रय करने के तथ्य की जानकारी नहीं हो सकी जिससे जबाबदावे में गलत तथ्य अंकित हो गये। विक्रय पत्र दिनांक 27.7.92 की जानकारी होने पर उसे खसरा नम्बर 1455 को क्रय किये जाने के तथ्य की जानकारी हुई। पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने की जानकारी होने पर प्रार्थी अपने जबाबदावे में इस बाबत संशोधन कराने का अधिकारी है एवं ऐसे संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। संशोधन किसी भी स्टेज पर कराया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थ संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम हो चुकी हैं एवं वाद अन्तिम बहस में चल रहा है। इस स्टेज पर जबाबदावे में संशोधन नहीं किया जा सकता एवं संशोधन से प्रकरण की स्थिति ही बदल जाती है। विक्रय पत्र दिनांक 27.7.92 से भूमि क्रय करना कथन कर संशोधन चाहा जा रहा है जबकि विक्रय पत्र की जानकारी पहले नहीं होना कथन किया है जो मानने योग्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने की स्थिति की जानकारी नहीं हो, नहीं माना जा सकता। आराजी खसरा नम्बर 1037 को विक्रय पत्र दिनांक 28.5.62 से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले ही क्रय कर लिया था एवं सम्वत

2022 में वह खातेदार दर्ज हो गया। दिनांक 28.5.62 के बाद उक्त आराजी को बय अथवा विनिमय नहीं किया है। विक्रेता के पास यह आराजी कहां से आई स्पष्ट नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन कर आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जबाबदावे में प्रतिवादी वर्तमान प्रार्थी घन्टोली ने हाल आराजी खसरा नम्बर 1455 रकबा 1 बीघा 3 साबिक खसरा नम्बर 1037 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी तथा आराजी खसरा नम्बर 1391/349 रकबा करीब 2 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को दे दी कथन लिया है। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी उक्त कथन को कलमजन कर इसके साथ पर विक्रय पत्र दिनांक 27.7.92 से आराजी खसरा नम्बर 1455 क्रय किया जाना कथन किया है एवं जबाबदावे में इसे प्रतिस्थापित करने का कथन लिया है। यह तथ्य जबाबदावे में लिये तथ्यों से भिन्न हैं एवं इससे जबाबदावेकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। वह भी तब जबकि प्रकरण अन्तिम बहस की स्टेज पर चल रहा हो। इस स्तर पर इस प्रकार के संशोधन को उचित नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी प्रार्थी चाहे तो वाद की बहस के समय लिखित बहस में यह कथन मय दस्तावेज ले सकता है। इस स्तर पर जबाबदावे में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में हम आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, नदबई का आदेश दिनांक 5.7.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मोडूदान देथा)**
**सदस्य**